तटस्थ उद्धरण संख्या – 2023:एएचसी–एलकेओ:13621–डीबी

ए.एफ.आर

न्यायालय संख्या – 01

वाद :– रिट – ए संख्या – 1051 / 2023

याचिकाकर्ता :– अवनीश कुमार पांडे एवं 22 अन्य

प्रतिवादी :– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ. एवं 5 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :– व्यास नारायण शुक्ला, राघवेंद्र ओझा, शिव कुमार सोनी

प्रतिवादी के अधिवक्ता :– मुख्य स्थाई अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा,

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार सोनी और राज्य–प्रतिवादी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.पी. नाग को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट–याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011 (इसमें इसके पश्चात "2011 की नियमावली" के रूप में संदर्भित) की वैधता को चुनौती दी है और उन्होंने प्रतिवादियों को उक्त नियमों में उस सीमा तक संशोधन करने का निर्देश देने वाली परमादेश रिट जारी करने की मांग की है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, समूह 'क' के पद से कंप्यूटर ऑपरेटर समूह 'ख' के पद पर पदोन्नति करने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है।

3. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले कई अन्य नियमों में, परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि 2011 के नियमावली के नियम 17 में है।

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ग' संवर्ग सेवा नियमावली 2016 का नियम 18, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, समूह 'ख' और कंप्यूटर ऑपरेटर, समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया शामिल है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 का नियम 17, जिसमें मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, और उत्तर प्रदेश उप–निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 का नियम 17, जिसमें उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, में पदोन्नति करने के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. रिट याचिका में आगे प्रस्तुत किया गया है कि उ.प्र. पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015, उ.प्र. पुलिस अनुसचिवीय लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 एवं उ.प्र. प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियम 2015 में भी पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. रिट याचिका में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने वाले एक पत्र के जवाब में उ.प्र. पुलिस कम्प्यूटर सेंटर ने जानकारी दी है कि विभागीय परीक्षा को वरिष्ठता से प्रतिस्थापित करने हेतु नियमावली 2011 में संशोधन की कार्यवाही शासन के समक्ष लंबित है।

7. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता शिव कुमार सोनी ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि कोई अन्य नियम पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं बताता है, इसलिए उपरोक्त नियमावली 2011 के नियम 17 में निहित लिखित–परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

8. अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **प्रवीण सिंह इंद्रसिंह महिदा बनाम गुजरात राज्य,** 2021 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 1293 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि : –

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"74(13) इस प्रकार, यह किसी भी संदेह से परे है कि विशेष अधिसूचना की न्यायसंगतता को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है। अनुच्छेद 14, जिसे संविधान की मूल विशेषता माना जाता है, कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। समान सुरक्षा का अर्थ है प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित उत्तरदायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार। इसलिए, यदि दो व्यक्ति या व्यक्तियों के दो समूह समान स्थिति में हैं/रखे गए हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ***साथ ही, समानता के सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से समान स्थिति में नहीं हैं। इसका मतलब यह होगा कि राज्य के पास वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति है। विधायिका अपने विवेक का प्रयोग करने और वर्गीकरण करने में सक्षम है। इस प्रकार, प्रत्येक वर्गीकरण कुछ हद तक कुछ असमानता उत्पन्न करने की संभावना रखता है लेकिन केवल असमानता का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन केवल तभी माना जाएगा जब दो व्यक्तियों के एक ही वर्ग/श्रेणी के होने पर भी समान सुरक्षा से इनकार किया जाता है, इसलिए, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में राज्य के अधिनियम को चुनौती देने वाले व्यक्ति को यह प्रस्तुत करना होगा कि राज्य द्वारा निर्मित दो वर्गों के बीच विभेदन के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर प्रतिषेध लगाता है न कि उचित वर्गीकरण पर।***

(जोर दिया गया)

9. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.पी. नाग ने तथ्य प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित सभी उपरोक्त नियम अलग–अलग और विशिष्ट पदों पर पदोन्नति से संबंधित हैं और सरकार ने पदों के प्रत्येक सेट से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग –अलग

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियम बनाए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किसी भी अन्य पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी विशिष्ट नियम में निहित प्रावधानों को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक मानदंड के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, श्री. नाग ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2014) 8 एससीसी 682, लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2003) 4 एससीसी 104 और आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी एवं अन्य, (1996) 3 एससीसी 709, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है।

10. **आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी**, (1996) 3 एससीसी 709 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: –

> *"**43.** ...संसद या उस मामले के लिए, राज्य विधानमंडल की शक्ति दो तरह से प्रतिबंधित है। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को अदालतें केवल दो आधारों पर ख़ारिज कर सकती हैं और केवल दो आधारों अर्थात, (1) विधायी सक्षमता की कमी और (2) संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन। कोई तीसरा आधार नहीं है...चाहे इसे किसी भी नाम से वर्णित किया जाए, अमान्यकरण का आधार ऊपर उल्लिखित दो आधारों के चारों कोनों के भीतर आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए, यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो इसे केवल तभी ख़ारिज किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह उसमें निहित समानता खंड/समान सुरक्षा खंड का उल्लंघन है। इसी प्रकार, यदि किसी अधिनियम को अनुच्छेद 19(1) के खंड (ए) से (जी) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से किसी के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती*

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, तो इसे केवल तभी ख़ारिज किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) इत्यादि में से किसी भी खंड द्वारा संरक्षित नहीं है। किसी भी अधिनियम को केवल यह कह कर ख़ारिज नहीं किया जा सकता कि यह मनमाना या अनुचित है। किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले किसी न किसी संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना होगा। किसी कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अदालत इसे अनुचित समझती है। संसद और विधानमंडल, जिनकी संरचना जनता के प्रतिनिधियों से होती है, से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों की जरूरतों को जानें और जागरूक रहें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अदालत उनके विवेक पर निर्णय नहीं दे सकती।"

11. **लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम उ.प्र.राज्य,** (2003) 4 एससीसी 104 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया। पुनः , **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई,** (2014) 8 एससीसी 682 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: –

*"**49.** जहां विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है, वहाँ न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा होता है, और संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए। मौलिक विधायी प्रक्रिया की प्रकृति और महत्व को न्यायालय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए और विधायी प्रक्रिया को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जहां कानून को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताकर चुनौती देने की मांग की जाती है, वहां न्यायालय को कानून को अमान्य करने के संबंध में अनुच्छेद*

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14 की प्रासंगिकता से संबंधित सिद्धांतों की याद दिलानी चाहिए। कानून में इसके अनुप्रयोग और कानून को अमान्य बनाने में अनुच्छेद 14 के दो आयाम अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं और ये हैं: (i) भेदभाव, एक अस्वीकार्य या अमान्य वर्गीकरण के आधार पर, और (ii) शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन; कार्यपालिका को असंबद्ध और अनिर्देशित शक्तियाँ प्रदान करना, चाहे वह प्रत्यायोजित विधान के रूप में हो या प्रशासनिक आदेश पारित करने के अधिकार प्रदान करके – यदि ऐसा प्रदान करना बिना किसी मार्गदर्शन, नियंत्रण या जाँच के है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई कानून केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाता क्योंकि वहां कोई अन्य दृष्टिकोण है या क्योंकि कोई अन्य तरीका सामाजिक या यहां तक कि आर्थिक नीति के किसी भी मुद्दे की तरह अच्छा या उससे भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नीति क्या है, इस पर अदालतें अपने विचार नहीं रखतीं।

*****

58. ***संविधान राज्य को वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि कानून के प्रयोजनों के लिए और किसी विशेष विषय पर अधिनियमित कानून के संबंध में किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए। जब एक वर्ग को दूसरे से अलग किया जाता है तो कुछ हद तक असमानता अवश्य होती है।*** *हालाँकि, ऐसा अलगाव तर्कसंगत होना चाहिए न कि कृत्रिम या अस्पष्ट। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, जो एक साथ समूहीकृत सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, न कि अन्य लोगों में जो छूट गए हैं, बल्कि विशेषताओं का विधि निर्माण के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण का आधार जो भिन्नता है, वह ठोस होनी चाहिए और उसका कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। यदि वस्तु स्वयं भेदभावपूर्ण है, तो यह स्पष्टीकरण कि प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ*

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तर्कसंगत संबंध रखते हुए वर्गीकरण उचित है, तत्वहीन है।

****

*96.....इसके अलावा, **जहां वर्गीकरण के आधार या कसौटी पर किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो इसे प्रत्येक मामले में अच्छी तरह से स्थापित दो परीक्षणों को लागू करके निर्धारित किया जाना चाहिए: (i) कि वर्गीकरण बोधगम्य विभेद पर आधारित है, और (ii) कि विभेद का कानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। प्रत्येक मामले की जांच अनुच्छेद 14 के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए, न कि किसी सामान्य नियम को लागू करके।"*

(जोर दिया गया)

12. **शायरा बानो बनाम भारत संघ**, (2017) 9 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि *"एक वैधानिक प्रावधान को स्पष्ट स्वेच्छाचारिता के आधार पर ख़ारिज किया जा सकता है, जब प्रावधान अनुचित, तर्कहीन और/ या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना, और यह भी कि यह अत्यधिक या अनुपातहीन है।"*

13. उपरोक्त संदर्भित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाए गए विधि के सामान्य सिद्धांत, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011 सहित अधीनस्थ कानूनों को चुनौती देने वाले मामलों पर भी लागू होंगे। ऊपर उल्लिखित विधि के अनुसार, हमें यह परीक्षण करना होगा कि क्या याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि 2011 के नियमावली के नियम 17, इस हद तक अधिकारातीत है कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है।

14. 2011 के नियमावली के नियम 17 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रहा है:

*"**नियम 17: पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –** कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया–*

(1) कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी के पद पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्कशक्ति और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए पद हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेख के आधार पर अंक निम्नवत प्रदान किये जायेंगे–

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे।(अधिकतम अंक 10)।

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक और शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कंप्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक। (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 03 अंक। (अधिकतम अंक 15)।

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे।(अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद् दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले 10 वर्षों के सेवा अभिलेख पर विचार किया जाएगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दंड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम –6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। "

15. उपरोक्त नियम सरकार द्वारा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 (2) (सी) द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा, के भर्ती और व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। जिसे शासनादेश दिनांक 26.09.2011 द्वारा पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुलिस बल का एक हिस्सा घोषित किया गया है।

16. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त नियमों को अधिकारातीत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया है, इस आधार पर कि उ.प्र. पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2015, उ.प्र. पुलिस अनुसचिवीय, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 एवं उ.प्र. प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 में पदोन्नति करने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, नियमावली 2011 के नियम 17 में जहां तक पदोन्नति करने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान के अधिकारातीत है।

17. याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित उपरोक्त सभी नियम कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित हैं, जो कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग का निर्माण करते हैं और कर्मचारियों के सभी वर्ग एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट हैं। किसी अन्य नियम में ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति करने का प्रावधान नहीं है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे उ.प्र. पुलिस में ग्रेड–ए कंप्यूटर ऑपरेटरों संवर्ग के समान वर्ग से संबंधित हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे कर्तव्य निभाते हैं, जो तकनीकी प्रकृति के होते हैं और जिनके लिए कंप्यूटर संचालन में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। यदि सरकार ने उम्मीदवारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए, से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी, की पदोन्नति करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि लिखित परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का उस प्राप्य उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है।

18. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने नियमों की वैधता को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि राज्य सरकार स्वयं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी की पदोन्नति विभागीय परीक्षा के स्थान पर विभागीय वरिष्ठता के आधार पर करने की प्रक्रिया में संशोधन पर विचार कर रही है। राज्य सरकार नियम बनाने हेतु सक्षम थी और उसे नियमों में संशोधन करने का अधिकार है। केवल इसलिए कि राज्य सरकार नियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, नियमों को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता।

19. जहाँ तक नियमावली 2011 के नियम 17 में संशोधन करने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए परमादेश रिट की माँग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना का सवाल है, तो यह कहना

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपयुक्त है कि राज्य सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम बना दिए हैं। राज्य ने नियम बनाने में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य किया है। नियम भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के दायरे से बाहर नहीं हैं और इस न्यायालय के पास नियमों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, राज्य को नियम में संशोधन करने का अधिकार है और भले ही राज्य ऐसा कोई संशोधन करने पर विचार कर रहा हो, अदालत नियमों में संशोधन करने के लिए राज्य को परमादेश जारी नहीं कर सकती है।

20. उपरोक्त कारणों से, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी) (माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा)

आदेश दिनांक :– 3.2.2023

AI generated Hindi Translation has been corrected and authenticated.

Dipti/–

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।